

नोट- समाज के विकलांगजनों को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यतन,नवीनतम विद्यमान शासनादेश दिनांक 03 फरवरी,2008 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी ।

10- आरक्षण- उ० प्र० की अनुसूचित जातियों / उ० प्र० की अनुसूचित जनजातियों, उ० प्र०के अन्य पिछड़े वर्गों को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यावधिक विद्यमान शासनादेशों/विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा। इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत आने वाली श्रेणियों यथा – उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित / भूतपूर्व सैनिक / विकलांगजनों तथा उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को भी विद्यमान अद्यावधिक शासनादेशों के अनुसार रिक्तियाँ बनने पर (कोटा बनने पर) नियमानुसार आरक्षण अनुमन्य होगा।

आरक्षण / आयु में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबन्धित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट -8 में मुद्रित तथा वैबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र/आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, जो आवेदन की अंतिम तिथि तक अथवा आवेदन की तिथि तक जारी किया हो, अवश्य प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाए तब वे आयोग को प्रस्तुत करें।

11- चयन का आधार – लिखित परीक्षा - ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी (स०क०) एवं समाज कल्याण पर्यवेक्षक के पदों पर चयन सीधी भर्ती (रीति एवं प्रक्रिया) नियमावली 2015 और उत्तर प्रदेश समूह “ग” के पदों के लिए सीधी भर्ती के संबंध में कार्मिक अनुभाग – 2 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या – 04 /2017/ 1/1/2017- का -2 दिनांक 31.08.2017 के अनुसार किया जाएगा ।

12- प्रस्तावित परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम-

प्रश्नगत परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, जिसमे एक प्रश्नपत्र 300 अंको का होगा । प्रश्नपत्र में 50-50 प्रश्नों के तीन खंड होंगे । प्रत्येक प्रश्न दो अंक का होगा । इस प्रकार से अभ्यर्थियों का चयन कुल 300 अंको के आधार पर किया जायेगा । जिसका विवरण निम्नवत है -

परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम

विषय	प्रश्नों की संख्या	अंक	समयावधि
भाग हिन्दी परिज्ञान एवं लेखन -1-योग्यता	50	100	दो घंटा
भागसामान्य बुद्धि परीक्षण -2-	50	100	
भाग सामान्य जानकारी -3-	50	100	
योग	150	300	

उपरोक्त परीक्षा हेतु निगेटिव मार्किंग (ऋणात्मक अंक) दिये जाने का भी प्रावधान है, दो प्रश्न गलत होने पर एक सही प्रश्न का अंक काटा जायेगा ।

पाठ्यक्रम

भाग 1- हिन्दी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता-

उक्त भाग में अभ्यर्थियों से हिन्दी भाषा के ज्ञान, समझ तथा लेखन योग्यता संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। यह भाग उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा के स्तर का होगा।

भाग-2 सामान्य बुद्धि परीक्षण -

इस भाग में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उद्देश्य किसी नवीन परिस्थिति को समझने, उसके विभिन्न तत्वों का विश्लेषण कर पहचान करने एवं तर्क करने की योग्यता को मापना है। इस भाग में ऐसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे, जो अनुदेशों को समझने, सम्बन्धों/समानताओं/संगतताओं का पता लगाने, निष्कर्ष निकालने तथा बौद्धिक क्रियाओं से संबन्धित हों।

भाग 3- सामान्य जानकारी -

इस भाग में अभ्यर्थियों से उसके चतुर्दिक वातावरण के संबंध में सामान्य जानकारी तथा समाज में उसकी उपयोगिता के संबंध में, योग्यता मापने के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे। इस भाग में सम-सामयिक घटनाओं, प्रतिदिन दृष्टिगोचर होने तथा अनुभव में आने वाले तथ्यों, विशेष रूप से भारत से संबन्धित ऐतिहासिक / भौगोलिक तथ्यों से संबन्धित एवं वैज्ञानिक पहलुओं से संबन्धित प्रश्न भी पूछे जाएंगे।

13-वरीयता- अभ्यर्थियों को आवेदन के समय आवेदित पदों के संबंध में वरीयता देनी होगी। आयोग, अभ्यर्थियों की प्रवीणता क्रम में जैसा कि अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों के कुल योग से प्रकट हो, एवं शैक्षिक योग्यता को देखते हुए सूची तैयार करेगा और पद की उपलब्धता, श्रेष्ठता व पद की शैक्षिक अर्हता का संज्ञान लेते हुए उपर्युक्त पदों पर अभ्यर्थियों द्वारा दी गयी वरीयता के आधार पर यथा संभव पद आवंटित करने का प्रयास करेगा किन्तु इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

वरीयता प्रपत्र

क्रम संख्या	पदनाम/विभाग का नाम/वेतनमान	अधिमान्यता का क्रमांक	
		शब्दों में	अंकों में
1	2	3	4
1-	ग्राम पंचायत अधिकारी (निदेशक, पंचायतीराज, उ० प्र० लखनऊ) वेतनमान - रु०5200- 20200/- ग्रेड पे- 2000/-		
2-	ग्राम विकास अधिकारी(स.क) (निदेशक, समाज कल्याण, उ० प्र० लखनऊ) वेतनमान - रु०5200- 20200/- ग्रेड पे- 2000/-		
3-	समाज कल्याण पर्यवेक्षक (निदेशक, समाज कल्याण, उ० प्र० लखनऊ) वेतनमान - रु०5200- 20200/- ग्रेड पे- 2000/-		

५